न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 256 / 2023

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 पन्नीदेवी पत्नी विशनाराम जाति जाट निवासी राजीतड़ा हाल निवासी महावीर नगर बाड़मेर।		1 तहसीलदार बाड़मेर 2 चन्द्रादेवी पत्नी टीकमाराम जाति माली निवासी उतरलाई तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री बालाराम गोदारा, वकील प्रार्थीनी।
2 अप्रार्थी संख्या 02।

आदेश

दिनांक 18/07/23

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी खातेदारी की भूमि मौजा बाड़मेर आगोर पटवार हल्का बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2662 / 981 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 2660 / 981 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी के सेढा सेढ अप्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 2661 / 981 रकबा 0.0971 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2663 / 981 रकबा 0.0890 हैक्टेयर के आये हुए है। प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 02 के खेतों के बीच की तरमीम हुई परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नही कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थीनी मौके पर संलग्न परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल के अनुसार कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी संख्या 02 का परिशिष्ठ "ब" में बरंग काला अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी अपनी खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 2660 / 981 व 2662 / 981 के विक्रयपत्र में अंकित पड़ौसाान के अनुसार उतर में खसरा संख्या 981 / 3 वर्तमान खसरा संख्या 2194 / 981, दक्षिण में खसरा संख्या 982 की भूमि, पूर्व में खसरा संख्या 981 / 4 व 981 / 1 / 1 वर्तमान खसरा संख्या 2591 / 981 व 2593 / 981 की भूमि होना बताया गया है तथा इसी अनुसार प्रार्थीनी की भूमि की तरमीम की जानी चाहिए थी। खसरा संख्या 2662 / 981 की तरमीम सही हुई परन्तु खसरा संख्या 2660 / 981 की तरमीम गलत कर दी गई, जिसे प्रार्थीनी परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा बाड़मेर आगोर पटवार हल्का बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2662 / 981 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 2660 / 981 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
SDO-बाड़मेर

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 ने उपस्थित होकर अभिकथन किया कि प्रार्थीनी के रोढा–रोढ अप्रार्थी संख्या 02 का खेत खसरा संख्या 2661/981 रकबा 0.0971 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2663/981 रकबा 0.0890 हैक्टेयर आये हुए है तथा प्रार्थीनी के खातेदारी के खेत मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2662/981 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 2660/981 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 को कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2073–2076, नक्शा, परिशिष्ठ 'अ', परिशिष्ठ 'ब', नामान्तकरण संख्या 689 दिनांक 21.02.2005 तथा पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 25.01.2005 का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजों के मद्देनजर प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2662/981 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 2660/981 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की तरमीम परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल होना अप्रार्थी संख्या 02 ने स्वीकार किया है। मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2662/981 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 2660/981 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान मौके व कब्जा काश्त परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल तथा अप्रार्थी संख्या 02 का परिशिष्ठ "ब" में बरंग काला अनसुार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2662/981 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 2660/981 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि की लठ्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध तरमीम को निरस्त की आवेदन के संलग्न परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल तथा अप्रार्थी संख्या 02 का परिशिष्ठ "ब" में बरंग काला अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" व परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सागदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

आदेश आज दिनांक 18/07/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
SDO-बाडमेर